तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	8/10/21

उक्त प्रकरण किसान कल्याण कोर्ट नागौर में दिनांक 8-10-2021 को पेश हुआ। वकील अधिवक्ता को मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना स्वीकार (17 स्वीकार) देने का बार-बार दिनांक तक मुआवजा पेश नहीं किया, जिस मुआवजा प्राप्त कर लिया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, सरकारी वकील के मिसल पर सरकारी वकील को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः सम्पेशकार का उक्त प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के स्वीकार किया जाता है तथा ता. पेशी बार-बार तक पूर्व अंतिम दिनांक 26.04.2018 को छोड़ दिया जाता है। पत्रावली मुआवजा शुमार कर बाद मुकदमा समाप्त समझी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं (नागौर)